।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/33 तारीख रज्जू 28.03.2014

2014
564

01– किशोर पुत्र श्री छोट्क्या
02– प्रहलाद पुत्र मनोहरी
03– नत्थू पुत्र मंगल
04– सुरेश पुत्र छोटक्या
05– प्रभू पुत्र पांचा
06– धान्धू उर्फ छाज्या पुत्र पांचा
07– पप्पू उर्फ राजेन्द्र
08– शिम्भू पुत्र मनोहरी
09– रामानन्द पुत्र मनोहरी
10– मम्मन पुत्र मनोहरी
11– विष्णु पुत्र मनोहरी
जातियान कीर निवासीयान बल्लाना तहसील व जिला अलवर

–प्रार्थीगण

बनाम

01– बाबूलाल पुत्र श्री रामजी लाल मीणा, मीणा पाडी अलवर
02– ख्याली पुत्र हीरा लाल
03– राम गोपाल पुत्र हीरा लाल
04– रघुनाथ पुत्र बनवारी
05– जगदीश पुत्र बनवारी
जातियान कीर निवासीयान ग्राम बुर्जा तहसील व जिला अलवर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :–

दिनांक: 29.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सांझे में काश्त कर रहे है, भूमि अबट है। अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने की कोशिश में है, कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत करते है तथा अतिक्रमण कर निर्माण करना चाहते है। आराजी की डोल को तोड दी है। दिनांक 25.02.2014 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट महाजमत की, निर्माण करने का प्रयास किया। रोला होने पर लोग इक्ट्ठे हुए जिन्होने इस वाक्ये को रोका है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि जबरन कब्जा ना करे, निर्माण कार्य ना करे तथा प्रार्थीगण की आराजी को नष्ट भ्रष्ट ना करे।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 27.05.2014 को अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर में प्रार्थीगण के हिस्से में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करने तथा ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण द्वारा पेश दावा गलत तथ्यों से पेश किया जाना बतलाया है। शजरा गलत बतलाया है। जवाब के अतिरिक्त कथन के पैरा संख्या 2 में निवेदन किया की विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.06 है० हम अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध दिनांक 08.09.2015 को एकतर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.05.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.06 है० गैर मु० नदी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर दिनांक 27.05.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम बल्लाना कि किस्म गै०मु० नदी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाये जाते है। हम दिनांक 27.05.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम बल्लाना तहसील व जिला अलवर पर दिनांक 27.05.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा वैकेट (Vacate) कर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner